लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2833
10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

2833. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फाइबर उत्पादन, बेट प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और वस्त्रों के जीवन-काल के अंत में निपटान के दौरान होने वाले स्कोप-4, स्कोप-2 और स्कोप-3 उत्सर्जन को कम करने के लिए जीवनचक्र मूल्यांकन आधारित कोई राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष 2030 तक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) रंगाई और प्रसंस्करण समूहों के लिए जेड.डी.एच.सी. (जीरो डिस्चार्ज ऑफ हैजर्डस केमिकल्स) या समकक्ष ढांचे के तहत विनियामक मानकों, प्रस्तावित अनुपालन संरचना, वास्तविक समय अपशिष्ट जल निगरानी और रसायन प्रबंधन प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;

(घ) पोस्ट-कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट (वस्त्र अपशिष्ट) के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को क्रियान्वित करने हेतु नीतिगत उपायों का, डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट, फाइबर-ट्रेसिबिलिटी और पुनर्चक्रीय-सामग्री अधिदेश सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) सामग्री नवाचार और निस्पंदन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर शेडिंग को कम करने के लिए नियोजित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(च) हिमाचल प्रदेश के ऊन, हथकरघा और रेशम उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रस्तावित क्लस्टर-विशिष्ट स्थिरता हस्तक्षेपों और वित्त पोषण तंत्र का, जलवायु-अनुकूल फाइबर, ग्रीन सर्टिफिकेशन और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट-रिकबरी बुनियादी ढांचा सहित ब्यौरा क्या है; और

(छ) एम.एस.एम.ई. समूहों में सतत रेट्रोफिट्स को सहायता देने के लिए प्रस्तावित समर्पित ग्रीन-फाइनेंसिंग (हरित वित्तपोषण), वायबिलिटी गैप फंडिंग और रियायती ऋण तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

***

(क) और (ख): सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत वस्त्र सहित कार्बन-इंटेंसिव सेक्टरों के लिए ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी (जीईआई) लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं। सीसीटीएस के

तहत, बाध्य संस्था को अपने स्कोप-1 और स्कोप-2 एमिशन के बारे में बताना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, एमएमई, ब्रांड और विनिर्माताओं को लाइफसाइकल अप्रोच और उत्पाद पर्यावरणीय फुटप्रिंट पर तकनीकी मदद और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना भी कार्यान्वयन के अधीन है।

(ग): सरकार ने दिनांक 30.01.1990 के सां.आ. 108(ई) के द्वारा डाइंग और कलर प्रोसेसिंग उद्योग में बेंजिडीन-बेस्ड डाई और उनके सॉल्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, दिनांक 26.03.1997 की एक अधिसूचना के द्वारा, 70 एज़ोडीज़ की हैंडलिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा, दिनांक 13.01.2006 को, भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को मंज़ूरी दी, जो एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य निरंतर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (पीओपी) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।

सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत वस्त्र क्षेत्र सहित "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानकों" को भी अधिसूचित किया है। इन प्रावधानों के अनुसार, वस्त्र उद्योगों और क्लस्टरों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) या सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित और संचालित करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपशिष्ट निर्वहन निर्धारित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इको-मार्क योजना, 2024 को अधिसूचित किया है, जिसमें वस्त्र के लिए पहचान की गई उत्पाद श्रेणी में से एक के तौर पर शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, इको-लेबलिंग का उद्देश्य पर्यावरण के अनुसार सस्टेनेबल उत्पादन के तरीकों, पर्यावरण के लिए अच्छे कच्ची सामग्री के प्रयोग, खतरनाक केमिकल्स के कम प्रयोग, रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्टवॉटर और एमिशन मैनेजमेंट, और लागू पर्यावरण मानक के पालन को बढ़ावा देना है।

(घ), (च) और (छ): माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2026-27 में वस्त्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की, जो पूरे भारत में लागू हो सकता है। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक फाइबर, मैन-मेड फाइबर और न्यू एज के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टर को मॉडर्न बनाने के लिए एक टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना, बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सस्टेनेबल वस्त्र और अपैरल को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल; और उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर वस्त्र कौशल इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने के लिए समर्थ 2.0 शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 979 लाभार्थियों को कवर करने वाले 06 लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के लिए ₹548.09 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है। एससीडीपी, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का एक घटक है जो हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में उन्नत लूम और एक्सेसरीज़, वर्कशेड बनाने, सोलर लाइटिंग यूनिट और उत्पाद तथा डिज़ाइन विकास जैसे कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के हिस्से के तौर पर, 17 आरएंडडी परियोजनाएं चलायी जा रही हैं जिनका फोकस विशेष तौर पर एग्रो और जियो-टेक्सटाइल के लिए नेचुरल और/या बायो फाइबर को बढ़ावा देना है, ताकि समय के साथ सिंथेटिक फाइबर-आधारित सामग्री आंशिक रूप से एजजी का स्थान ले सके।

*****